

प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

✓ सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र० लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषय:-प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस०/
बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों (सत्र-2016-17) में काउंसिलिंग एवं प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1090 / 71-2-2016-127 / 2011 दिनांक-11.8.2016 तथा अधिसूचना संख्या-3571 / 71-2-2016-81 / 2016, दिनांक-20.8.2016 एवं अधिसूचना संख्या-3572 / 71-2-2016-81 / 2016 दिनांक 22.8.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से क्रमशः आन-लाईन पंजीकरण की व्यवस्था तथा शैक्षणिक सत्र 2016-17 में प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में कम्बाईन्ड काउंसिलिंग बोर्ड के माध्यम से काउंसिलिंग कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कम्बाईन्ड काउंसिलिंग बोर्ड के गठन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 20.08.2016 तथा 22.08.2016 में उल्लिखित काउंसिलिंग बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को एतद् द्वारा नामित किया जाता है:-

1. डा० एस०पी० सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद (अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।
2. डा० गणेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ (अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।
3. डा० सुरेश चन्द्रा, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (अनारक्षित श्रेणी के प्रतिनिधि के रूप में)।
4. डा० एम०क्यू बेग, विभागाध्यक्ष रेडियोथेरेपी, बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर (अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में)।

3- उक्त के अतिरिक्त काउंसिलिंग बोर्ड में तकनीकी संस्था के रूप में अधिकृत के0जी0एम0यू0, लखनऊ के तकनीकी विशेषज्ञ भी काउंसिलिंग के समय पंजीकरण मेरिट लिस्ट एवं बायोमेट्रिक सत्यापन के सम्बन्ध में सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपस्थित रहेंगे।

4- प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में काउंसिलिंग एवं प्रवेश के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:-

काउंसिलिंग की समय सारणी:-

मेरिट लिस्ट का प्रकाशन	दिनांक 01.09.2016
प्रथम चक्र की काउंसिलिंग	दिनांक-03.09.2016 से दिनांक 07.09.2016
आवटित सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनांक 08.9.2016
द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग	दिनांक-21.09.2016 से दिनांक 24.09.2016
आवटित सीटों पर प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि	दिनांक-26.09.2016
मॉप-अप-राउण्ड	दिनांक-28.09.2016

काउंसिलिंग की प्रक्रिया:-

शैक्षणिक सत्र 2016-17 में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. सभी पाठ्यक्रमों में काउंसिलिंग का क्रम केन्द्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा पंजीकरण के आधार पर तैयार सूचियों में मेरिट के क्रमानुसार किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-2061/71-2-11-90/2005 दिनांक 05.7.2011 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग वीडिया-कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ, कानपुर एवं इलाहाबाद में करायी जायेगी।
3. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में अनुमन्य आरक्षित सीटों का निर्धारण करते हुए काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चक्र के प्रथम दिन प्रदेश में उपलब्ध समस्त एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 सीटों का कालेजवार, श्रेणीवार एवं पाठ्यक्रमवार आरक्षित सीटों की सूचना सहित "सीट-चार्ट" अनुमोदित एवं प्रकाशित की जाएगी। सीट चार्ट में प्रदर्शित होने वाली निजी क्षेत्र के कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कम का निर्धारण उनके एम0सी0आई0 द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि, एल0ओ0पी0 प्राप्त होने की तिथि एवं संस्थान के विधिक नाम के अंग्रेजी वर्णमाला कम के आधार पर की जायेगी।
4. काउंसिलिंग के पूर्व स्थलीय पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति/सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेखों के आधार पर प्रवेश/आरक्षण हेतु अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार मात्र काउंसिलिंग बोर्ड की होगी।

5. काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु नामित तकनीकी संस्था द्वारा नामित तकनीकी प्रतिनिधि काउंसिलिंग बोर्ड में विशेष आमंत्रि के रूप में सम्मिलित होंगे। तकनीकी संस्था द्वारा काउंसिलिंग एवं प्रवेश के समय 02 अवसरों पर आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जायेगा। इसके साथ ही कराया जायेगा।
6. काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष समस्त तथ्यों से अवगत होते हुए अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित किये गये विकल्प के आधार पर कालेज/पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में सीट आवंटन हेतु पत्र महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के हस्ताक्षर से निर्गत की जायेंगी। उक्त पत्र प्राप्त होने के बाद उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सम्बन्धित कालेजों/विश्वविद्यालयों को प्रवेश के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी।
7. निर्धारित 02 चकों की काउंसिलिंग के उपरान्त यदि कोई सीट अवशेष रह जाती है, तो इनमें प्रवेश हेतु मा10 उच्चतम् न्यायालय के अनुपालन में 01 अन्तिम "माप-अप-राउण्ड" की काउंसिलिंग दिनांक-28.9.2016 को आयोजित की जाएगी। इस चक में प्रवेश का आधार मूल निवासी मेरिट लिस्ट ही रहेगी। इस चक की सीट आवंटन में पूर्व में प्रवेशित/आवंटित अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करना अनुमन्य नहीं होगा परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि छात्रों को सीट चयन करने का अवसर नीट मेरिट क्रम के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा।

आरक्षण:-

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों (शैक्षणिक सत्र-2016-17) में प्रवेश हेतु अनुमन्य आरक्षण की व्यवस्था एवं अर्हताएँ पूर्व की भाँति यथावत् रहेंगी। तदनुसार सत्र 2016-17 में प्रत्येक राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर उर्ध्वधर आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् प्रदान किया जायेगा:-

उर्ध्वधर आरक्षण

- | | | |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी- | 21 प्रतिशत |
| 2. | अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी- | 02 प्रतिशत |
| 3. | अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी- | 27 प्रतिशत |

क्षैतिज आरक्षण

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए- | 02 प्रतिशत |
| 2. | भूतपूर्व सैनिक(युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिए- | 02 प्रतिशत |
| 3. | विकलांग अभ्यर्थियों के लिए- | 03 प्रतिशत |
| 4. | महिला अभ्यर्थियों के लिए- | 20 प्रतिशत |
| 5. | बी-ग्रेडिंग सहित सी- सर्टिफिकेट धारी एन0सी0सी0 कैडेट | 01 प्रतिशत |

